संक्षेप में

पीसी ज्वैलर जुटाएगी 2,705 करोड़ रुपये

पीसी ज्वैलर लिमिटेड ने प्रवर्तकों और निवेशकों को तरजीही आधार पर वॉरंट जारी करके 2,705 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बनाई है। पीसी ज्वैलर के वॉरंट लेकर प्रवर्तक कंपनी में लगभग 850 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड ने तरजीही आधार पर पूरी तरह से परिवर्तनीय वॉरंट के जरिये 2,705.14 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पीसी ज्वैलर के प्रबंध निदेशक बलराम गर्ग ने कहा, 'इस धनराशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से बैंक कर्ज को चुकाने के लिए किया जाएगा। लगभग 75 प्रतिशत कोष का इस्तेमाल बैंक कर्ज को चुकाने और शेष 25 प्रतिशत कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा।' *भाषा*

श्याओमी इंडिया का मुनाफा 77 प्रतिशत घटा

चीन की स्मार्ट उपकरण विनिर्माता श्याओमी टेक्नोलॉजी का भारत में मुनाफा वित्त वर्ष 2022-23 में सालाना आधार पर 77 प्रतिशत घटकर 238.63 करोड़ रुपये रह गया है। कंपनी ने 2021-22 में 1,057.7 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। श्याओमी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसकी परिचालन आय वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 32 प्रतिशत घटकर 26,697 करोड़ रुपये रह गई, जो 2021-22 में लगभग 39,100 करोड़ रुपये थी। श्याओमी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उत्पादों की बिक्री से 26,395 करोड़ रुपये और सेवाओं की बिक्री से 264 करोड़ रुपये कमाए, जिनमें विज्ञापन और मूल्यवर्धित सेवाएं शामिल हैं। *भाषा*

इंडियन ऑयल: स्टॉर्म एक्स का उत्पादन शुरू

भारत की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने एड्रेनालाइन-पंपिंग मोटर रेसिंग में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का उत्पादन शुरू किया है और इसकी पहली खेप भेज दी है। कंपनी ने बयान में कहा कि ओडिशा के पारादीप में उसकी रिफाइनरी ने स्टॉर्म एक्स का उत्पादन शुरू कर दिया है। यह हाई ऑक्टेन पेट्रोल विशेष रूप से रेसिंग कारों के लिए तैयार किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के निदेशक (विपणन) वी सतीश कुमार ने शनिवार को स्टॉर्म-एक्स की पहली खेप रवाना की। *भाषा*

दूसरी तिमाही से सभी कारोबारों में होगी दमदार वृद्धि: विजयकुमार

आशुतोष मिश्र
नई दिल्ली, 14 जुलाई

एचसीएलटेक के मुख्य कार्य अधिकारी और प्रबंध निदेशक सी विजयकुमार का कहना है कि उनकी कंपनी दूसरी कंपनियों को चुनौती देती है और शायद इसी वजह से वह अमेरिका और बीएफएसआई में तब बढ़ रही है, जब बड़ी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को झटके लग रहे हैं।

वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के अपने नतीजों की घोषणा से लगता है कि कंपनी की चुनौती देने वाली यह स्थिति उसके मामले में काम कर रही है। कंपनी ने बताया कि अमेरिकी क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि स्टेट स्ट्रीट में अपनी हिस्सेदारी बेचने की वजह से कंपनी ने अपने बीएफएसआई कारोबार में 1.3 प्रतिशत तक की गिरावट देखी है।

अमेरिका में यह वृद्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि उद्योग के लिए यह सबसे बड़ा भौगोलिक इलाका है। यह वृद्धि इस लिहाज से भी प्रभावशाली है क्योंकि इसकी दो सबसे बड़े कंपनियों की वृद्धि में कमी देखी गई है।

एक्सेंचर ने हाल में घोषित तीसरी तिमाही के परिणामों में उत्तर अमेरिका में पिछले साल के मुकाबले एक प्रतिशत की राजस्व वृद्धि दर्ज की है। एचसीएलटेक की सबसे बड़ी भारतीय प्रतिस्पर्धी टीसीएस ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के दौरान अमेरिका के राजस्व में 1.1 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की है।

विजयकुमार ने नतीजों के बाद बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ बातचीत में कहा, 'वित्तीय सेवाओं को छोड़कर, जहां विनिवेश का असर नजर आएगा, सभी कारोबार वृद्धि करेंगे। दूसरी तिमाही की बात करें तो हमने कुछ अनुमान जताया है और तीसरी तिमाही हमारे सॉफ्टवेयर कारोबार के लिए आमतौर पर मजबूत ही रहती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये ऐसे अंतर्निहित कारक हैं जो हमारे अनुमान को हासिल करने में मदद करेंगे।'

नोएडा की कंपनी ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 20.4 प्रतिशत वृद्धि के साथ 4,257 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया है और इस वर्ष के लिए तीन से पांच प्रतिशत का राजस्व अनुमान कायम रखा है।

आईटी सेवा क्षेत्र की दिग्गज एचसीएलटेक स्टेट स्ट्रीट की हिस्सेदारी बेचने से वित्तीय सेवा कारोबार पर कुछ असर को छोड़कर वित्त वर्ष के शेष भाग के लिए सभी प्रमुख कारोबारों में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। एचसीएलटेक को पक्का भरोसा है कि दूसरी तिमाही से वृद्धि फिर से पटरी पर होगी।

विजयकुमार ने कहा, 'हम दूसरी तिमाही के लिए अनुमान दे चुके हैं और तीसरी तिमाही के बारे में अच्छी तरह से पता है कि यह आमतौर मजबूत ही रहती है।' विजयकुमार ने साल में आगे चलकर अमेरिकी क्षेत्र में एचसीएलटेक की निरंतर वृद्धि की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि यह हमारे अनुमान का हिस्सा है। हमें लगता है कि हम अमेरिका और बाकी दुनिया तथा यूरोप दोनों में वृद्धि जारी रखेंगे।

कंपनी ने अमेरिकी क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले 8 प्रतिशत की वृद्धि की है, हालांकि स्टेट स्ट्रीट में अपनी हिस्सेदारी बेचने की वजह से कंपनी ने अपने बीएफएसआई कारोबार में 1.3 प्रतिशत तक की गिरावट देखी है

पृष्ठ 1 का शेष

बजट नहीं बढ़ाती जेनएआई

सरकार के अलावा हमने सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी बड़े बैंकों के साथ भी काम किया है। वे अपनी तकनीक का लगातार उन्नयन कर रहे हैं और हम उनके साथ काम कर रहे हैं। भारत में हम बीएफएसआई क्षेत्र में ज्यादा काम करते हैं लेकिन अब दूसरी श्रेणियों पर भी ध्यान दे रहे हैं, जिनमें ज्यादा निवेश दिख रहा है। हमें आसियान देशों में भी सौदे मिले हैं और यह सिंगापुर तथा हॉन्ग कॉन्ग तक ही सीमित नहीं है। हमने मलेशिया और थाईलैंड में भी कुछ उल्लेखनीय काम किए हैं और वहां विस्तार कर रहे हैं।

क्या आपको लगता है कि बीएसएनएल अकेले टीसीएस की वृद्धि को बढ़ा रही है?

टीसीएस एक ही जगह से कमा रही है, यह कहना सही नहीं होगा। यह हमारी टीम के काम के साथ न्याय भी नहीं होगा। यह टीम सालाना 9 अरब डॉलर कमाती है। भारत में कारोबार बढ़ाने में बीएसएनएल का बेशक अहम योगदान है। मगर हम भारत में आने वाले कई कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करेंगे।

उभरते बाजारों में कारोबार बढ़ने का मतलब है मार्जिन कम होगा। बड़ी आईटी कंपनियों के भारतीय बाजार से दूर रहने की यह भी एक वजह है। टीसीएस मार्जिन वृद्धि को कैसे साधेगी?

समय के साथ हमारा मार्जिन बढ़ा है। यह बात इस पर भी निर्भर करती है कि किस तरह की सेवाएं और काम मिल रहे हैं। भारतीय सौदों में श्रम से जुड़ा मामला नहीं होता है। लेकिन आप अधिक उत्पाद, सेवाएं और ज्यादा परिणाम दे सकें तो वैसे प्रोग्राम यहां कम करते हैं। जहां तक मार्जिन की बात है तो इसमें थोड़ी कमी आई है मगर कारोबार बढ़ने पर इसे भी बढ़ाया जाएगा।

जीसीसी की खूब चर्चा हो रही है। टीसीएस को इससे कोई फर्क पड़ता है?

लंबी अवधि में हमारी अहम भूमिका होगी क्योंकि हम बड़े स्तर पर काम करते हैं और तकनीक के ज्यादा विकल्प देते हैं। हमने कहा है कि अगर जीसीसी यहां विशिष्ट क्षमता के लिए आती है तो उसका फायदा है मगर लागत कम करने के लिए आती है तो उन्हें बड़े स्तर पर काम करना होगा। अभी तक हमने इसे अच्छी तरह से संभाला है। हम कई बड़े संगठनों के साथ काम करते हैं और हमारे कई ग्राहकों के भारत में जीसीसी हैं।

प्रौद्योगिकी पर रहेगा जोर: वासवानी

बीएस संवाददाता
मुंबई, 14 जुलाई

कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी अशोक वासवानी ने शेयरधारकों को भेजी अपनी 2023-24 की सालाना रिपोर्ट में कहा कि बैंक के बदलाव एवं विस्तार में प्रौद्योगिकी का अहम योगदान रहेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए ताजा कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वासवानी (जिन्होंने 1 जनवरी 2024 को कोटक महिंद्रा बैंक की जिम्मेदारी संभाली) ने कहा, 'मौजूदा समय में, आरबीआई के ताजा आदेश पर चर्चा करना उचित है। पिछले कुछ वर्षों में, हमने इस धारणा को पूरी तरह से अपना लिया था कि व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना जरूरी है।' वासवानी ने कहा, 'इस दिशा में हमने टेक्नोलॉजी में संसाधन और निवेश काफी हद तक बढ़ाया। हालांकि, यह स्पष्ट है कि हमें और भी बहुत कुछ करना है।'

इस साल 24 अप्रैल को, आरबीआई ने निजी क्षेत्र के इस ऋणदाता को अपने ऑनलाइन एवं मोबाइल बैंकिंग चैनलों के जरिये नए ग्राहक नहीं जोड़ने और क्रेडिट कार्ड जारी करने से प्रतिबंधित कर दिया था। वासवानी ने कहा कि ग्राहकों की बदलती अपेक्षाएं, व्यवसाय वृद्धि की तेज गति और उभरते जोखिम परिदृश्य का मतलब है कि बैंक को बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा। हम इस क्षेत्र में अपने संसाधन और प्रतिबद्धताएं बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं।'

वासवानी ने मजबूत व्यवसाय खड़ा करने के लिए बैंक के पूर्व एमडी एवं सीईओ उदय कोटक के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने एक ऐसी मजबूत प्रबंधन टीम तैयार करने के लिए भी कोटक को श्रेय दिया जिसने इन वर्षों के दौरान बैंक की सफलता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।

(डिस्क्लेमर: कोटक समूह के नियंत्रण वाली इकाइयों की बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड में बड़ी हिस्सेदारी है)

टाटा पावर: पूंजीगत खर्च के साथ कर्ज पुनर्गठन, कार्यशील पूंजी पर काम

अभिजित लेले और अमृता पिल्लै
मुंबई, 14 जुलाई

निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादक टाटा पावर की 60,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च की महत्वाकांक्षी योजना है और कंपनी ने कर्ज पुनर्गठन पर फिर से काम करने और अन्य कार्यशील पूंजी से जुड़े कदमों पर अपनी कोशिश तेज कर दी है ताकि पूंजीगत खर्च का इंतजाम खुद से कर सके।

मार्च में टाटा पावर का एकीकृत कर्ज 49,480 करोड़ रुपये था। एक सरकारी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कंपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता में बड़ी हिस्सेदारी की ओर बढ़ रही है। वह बिजली उत्पादन की स्थापित कंपनी है और लेनदारों को उसके रिकॉर्ड के साथ सहजता है। उन्होंने कहा, लंबी अवधि की क्रेडिट की ओर बढ़ना ब्याज दर के चक्र का प्रतिबिंब भी है, जहां आगामी तिमाहियों में नरमी की उम्मीद है।

इस बारे में जानकारी के लिए टाटा पावर को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला। हालांकि कंपनी ने हालिया सालाना रिपोर्ट में कहा है, हम उच्च लागत वाले कर्ज के लिए नया कर्ज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भुगतान की बेहतर शर्तें हासिल हों और ब्याज की लागत घटे।

यह ट्रेंड कंपनी के वित्त वर्ष 2024 के आंकड़ों में दिख रहा है। 49,840 करोड़ रुपये के एकीकृत कर्ज में से 76 फीसदी लंबी अवधि का है। लंबी अवधि के कर्ज का हिस्सा पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है जबकि अल्पावधि वाले कर्ज का हिस्सा सिकुड़ रहा है।

इस राह पर चलने का सिलसिला वित्त वर्ष 2025 में बने रहने की संभावना है।

वैश्विक पहलों का आकलन करेगी एचयूएल

हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) उत्पादकता कार्यक्रम के तहत यूनिलीवर की वैश्विक पहलों का बारीकी से आकलन करेगी और इस बात का मूल्यांकन करेगी कि उसके कारोबार और उसके लोगों के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि उसकी मूल कंपनी ने हाल ही में अपने कर्मचारियों से कहा है कि वह साल 2025 के आखिर तक यूरोप में अपनी कार्यालय-आधारित नौकरियों में से एक-तिहाई की कटौती करेगी।

एचयूएल ने कहा 'हम उत्पादकता कार्यक्रम के तहत मूल्यांकन करेंगे कि हमारे कारोबारों और हमारे लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या रहता है।' *बीएस*

सुप्रीम हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कब्जा सूचना (परिशिष्ट IV) नियम 8(1)

जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (यहाँ आगे "सरफासी अधिनियम, 2022" कहा गया है) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मेसर्स सुप्रीम हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम के तहत एक आवास वित्त बैंक कंपनी, वर्तमान पंजीकृत पताः दूसरा तल, हर्ष भवन, 13/29, ई–ब्लॉक, मिडल सर्कल, क्नाट प्लेस, नई दिल्ली–110001 (यहाँ आगे "एसएचएफएल" कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नोटिस प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर नोटिस में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए निम्नलिखित (कर्जदारों) और (सह–कर्जदारों) को मांग नोटिस जारी किया था। कर्जदार/जमानती द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर कर्जदार और सर्व सामान्य को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(4) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर अधोल्लिखित संपत्ति का नीचे वर्णित तारीख को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और जन साधारण को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन उल्लिखित राशि और इस पर ब्याज, अन्य प्रभारों के लिए "एसएचएफएल" के प्रभार के अधीन होगा। प्रत्याभूत परिसंपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम व पताः 1. कविता मकवाना पत्नी ईश्वर मकवाना 2. ईश्वर मकवाना पुत्र सदन मकवाना, 3. सदन मकवाना पुत्र रतन मकवाना सभी का पता– 21 कलारिया, ग्राम, इंदौर, मध्य प्रदेश (भारत), पिनकोड–453001

मांग नोटिस दिनांकितः 20.05.2023 **कब्जे की तारीखः** 10 जुलाई, 2024 **मांग नोटिस की राशिः** रु. 3,52,648/– दिनांक 12 मई, 2023 को

संपत्ति का विवरणः मकान नं. 21, पी.एच.नं. 08, ग्राम कलारिया, तहसील और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश के सभी भाग व खंड और इसकी सीमाएँ निम्नवत् हैंः– पूर्वः सीताराम का मकान, पश्चिमः धन सिंह का मकान, उत्तरः प्रेम सिंह का खेत, दक्षिणः रोड

कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम व पताः 1. मुस्कान बाई पुत्री सबाब खां, 2. समीर पुत्र सबीर खां, दोनों का पता– 173, रोलई, ग्राम– बंगला, धार, मध्य प्रदेश–454010

मांग नोटिस दिनांकितः 20.07.2023 **कब्जे की तारीखः** 10 जुलाई, 2024 **मांग नोटिस की राशिः** रु. 2,88,121/– दिनांक 12 जुलाई, 2023 को

संपत्ति का विवरणः संपत्ति मकान नं. 173, पी.एच. नं. 69, नया नं. 39, ग्राम रोले, तहसील देपाल. पुर जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, एरिया माप 900 वर्ग फुट (83.64 वर्ग मीटर) के सभी भाग व खंड और इसकी सीमाएँ निम्नवत् हैंः– पूर्वः सोफीक का मकान, पश्चिमः नौशाद का मकान, उत्तरः फील्ड, दक्षिणः रोड

कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम व पताः 1. रामू बाई पत्नी छित्तूलाल, 2. छित्तूलाल पुत्र थावर जी, 3. मांगीलाल पुत्र छित्तूलाल, 4. अर्जुन पुत्र छित्तूलाल, सभी का पता– 33, ग्राम गुरादिया, अनुभाग 1, हरिजन मोहल्ला तहसील घटिया, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश–456550

मांग नोटिस दिनांकितः 31.10.2023 **कब्जे की तारीखः** 12 जुलाई, 2024 **मांग नोटिस की राशिः** रु. 2,07,756/– (रुपये दो लाख सात हजार सात सौ छप्पन मात्र) दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 को

संपत्ति का विवरणः ग्राम गुरादिया गुर्जर, पी.एच. नं. 70, मकान नं. 33, सर्वे नं. 912, ग्राम पंचायत गुरादिया गुर्जर, तहसील घटिया, जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) के सभी भाग व खंड और इसकी सीमाएँ निम्नवत् हैंः– पूर्वः फार्म, उत्तरः खाली मकान, पश्चिमः रोड, दक्षिणः भागीरथ का मकान। कुल एरियाः– 900 वर्ग फुट (83.64 वर्ग मीटर)

कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम व पताः 1. सीमा वर्मा पत्नी नागूलाल, 2. नागूलाल सिंह पुत्र मान. सिंह, दोनों का पता– ग्राम भड़सिम्बा, उज्जैन मध्य प्रदेश (भारत)– 456665, अन्य पताः 83, सेक्टर–1, भड़सिम्बा, नोगनवा, उज्जैन, मध्य प्रदेश–456665

मांग नोटिस दिनांकितः 23.09.2023 **कब्जे की तारीखः** 12 जुलाई, 2024 **मांग नोटिस की राशिः** रु. 2,13,600/– (रुपये दो लाख तेरह हजार छह सौ मात्र) दिनांक 18 सितंबर, 2023 को

संपत्ति का विवरणः प्लॉट/मकान ग्राम भड़सिम्बा, ग्राम पंचायत भड़सिम्बा, पी.एच. नं. 82, तहसील तराना जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) के सभी भाग व खंड और इसकी सीमाएँ निम्नवत् हैंः– पूर्वः सरकारी विद्यालय, पश्चिमः दिनेश वर्मा का मकान, उत्तरः कौशिल्या बाई का मकान, दक्षिणः महेश वर्मा का मकान। कुल एरियाः– 41.82 वर्ग मीटर

कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम व पताः 1. माया बाई पत्नी जगदीश सिंह, 2. जगदीश सिंह पुत्र सिद्दू जी, दोनों का पता– 26, राजपूत मोहल्ला, ग्राम झरनवादा उज्जैन, मध्य प्रदेश, (भारत)– 456006, अन्य पताः– स्कूल के पीछे, झरनवादा, पोस्ट– छादावाद, तहसील– तराना छादाबाद, उज्जैन, तराना, मध्य प्रदेश–456665

मांग नोटिस दिनांकितः 21.08.2023 **कब्जे की तारीखः** 12 जुलाई, 2024 **मांग नोटिस की राशिः** रु. 3,05,144/– (रुपये तीन लाख पाँच हजार एक सौ चौबालीस मात्र) दि. 12 अगस्त, 2023 को

संपत्ति का विवरणः मकान, गाँव झरनवादा, पी.एच. नं. 19, सरला नं. 2549, एच.नं. 06 (कॉर्नर), तहसील तराना जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश के सभी भाग व खंड और इसकी सीमाएँ निम्नवत् हैंः– पूर्वः स्वयं का प्लॉट, पश्चिमः स्थानीय रास्ता, उत्तरः स्वयं का प्लॉट, दक्षिणः स्थानीय रास्ता। कुल एरिया मापः– 1350 वर्ग फुट

कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम व पताः 1. भावना पत्नी भेरू सिंह, 2. भेरू सिंह पुत्र राम प्रसाद, दोनों का पता– 90, गयासबद धार, मध्य प्रदेश– 454773

मांग नोटिस दिनांकितः 15.03.2023 **कब्जे की तारीखः** 10 जुलाई, 2024 **मांग नोटिस की राशिः** रु. 3,44,893/– दिनांक 13 मार्च, 2023 को

संपत्ति का विवरणः संपत्ति माप एरिया 900 वर्ग फुट, मकान नं. 90, पी.एच. नं. 97, ग्राम बादछपरा तहसील, धार मध्य प्रदेश–454773 के सभी भाग व खंड और इसकी सीमाएँ निम्नवत् हैंः– पूर्वः सेवाराम का मकान, पश्चिमः आत्माराम का मकान, उत्तरः कॉमन रोड, दक्षिणः जगदीश का प्लॉट

कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम व पताः 1. टीना कुंवर पत्नी नारायण सिंह, 2. नारायण सिंह पुत्र विक्रम सिंह, 3. विक्रम सिंह पुत्र प्रबात सिंह, 4. लाड कुंवर बाई पत्नी विक्रम सिंह, सभी का पता– ग्राम झरनवादा, तहसील तराना, छादाबाद, उज्जैन, मध्य प्रदेश–456665, **अन्य पताः–** 5, राजपूत मोहल्ला झरनवादा गाँव, झरनवादा, तहसील तराना, जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) – 456665

मांग नोटिस दिनांकितः 31.10.2023 **कब्जे की तारीखः** 12 जुलाई, 2024 **मांग नोटिस की राशिः** रु. 3,59,970/– (रुपये तीन लाख उनसठ हजार नौ सौ सत्तर मात्र) दि. 16 अक्टूबर, 2023 को

संपत्ति का विवरणः मकान नं. 05, पीएच नं. 59, गाँव झरनवादा, तहसील तराना जिला उज्जैन के सभी भाग व खंड और इसकी सीमाएँ निम्नवत् हैंः– पूर्वः गोपाल सिंह का मकान, उत्तरः रोड, पश्चिमः लक्ष्मीदास का मकान, दक्षिणः स्वयं का बाड़ा। कुल एरिया माप– 2400 वर्ग फुट (223.04 वर्ग मीटर)

स्थानः मध्य प्रदेश
दिनांकः 15.07.2024
प्राधिकृत अधिकारी
सुप्रीम हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड

जेएम फाईनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड

JM FINANCIAL HOME LOANS

कॉर्पोरेट पहचासन संख्याः U65999MH2016PLC288534
कॉर्पोरेट कार्यालय पताः तीसरी मंजिल, सुआशिष आईटी पार्क, प्लॉट नं. 68ई, ऑफ दत्तपाड़ा रोड, बोरिवली ईस्ट, मुंबई–400066

मांग नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत

जबकि जेएम फाईनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड (जेएमएफएचएलएल) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम के तहत और नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पहले ही नीचे दिनांकित विस्तृत मांग नोटिस जारी किया था जिसमें कर्जदार(ओं)/सह–कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) (सभी एकल या संयुक्त रूप से "बाध्यताधारी" कहा गया है)/नीचे सूचीबद्ध विधिक उत्तराधिकारी(ओं)/विधिक प्रतिनिधि(ओं) से सं. बंधित मांग सूचना/ओं में उल्लिखित राशियों नीचे दिए विवरण अनुसार संबंधित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा। उक्त नोटिस की प्रतियाँ पंजीकृत डाक द्वारा दी गई हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और बाध्यताधारी(ओं)/विधिक उत्तराधिकारी(ओं)/विधिक प्रतिनिधि(ओं) यदि चाहें तो संबंधित प्रति किसी भी कार्य दिवस को सामान्य कार्यालयीन अवधि में अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त के संबंध में एक बार पुनः एतद्द्वारा उक्त बाध्यताधारी(ओं)/विधिक उत्तराधिकारी(ओं)/विधिक प्रतिनिधि(ओं) को भुगतान और/या वसूली की तिथि तक नीचे कॉलम में वर्णित संबंधित तिथियों से नीचे दिए विवरण अनुसार भविष्य की ब्याज सहित संबंधित नामों के लिए नीचे इंगित राशियों को संबंधित नोटिस/ओं की तारीख से 60 दिनों के अंदर, उक्त बाध्यताधारी(ओं) द्वारा निष्पादित ऋण करार और अन्य दस्तावेजों/लिखतों यदि कोई हों, के साथ पठित, जेएमएफएचएलएल को भुगतान करने के लिए कहा जाता है। ऋण के देय पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में क्रमशः उक्त बाध्यताधारी(ओं) द्वारा निम्नलिखित प्रत्याभूत परिसंपत्ति(याँ) जेएमएफएचएलएल को बंधक रखी गई हैंः

कर्जदार(ओं)/सह–कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) के नाम और खाता संख्या	संपत्ति विवरण	13(2) नोटिस की तारीख और एनपीए की तारीख कुल बकाया राशि अब तक
1. श्री दिनेश हम्मद, 2. श्रीमती ममता हम्मद, 3. श्री जतिन, 4. श्री विजय लालू। **ऋण खाता संख्याः** LKRG23000032257	गाँव– सिवाई, पटवारी हलका नं. 15, तहसील– राजपुर, जिला बरवानी, मध्य प्रदेश–451447 स्थित मकान नं. 59, प्लॉट एरियाः– कुल एरिया 1290 वर्ग फुट (119.89 वर्ग मीटर) और इस पर निर्माण	1. 10.07.2024 2. 05.07.2024 रु.10,76,668/– (रुपये दस लाख छिहत्तर हजार छह सौ अड़सठ मात्र) दि. **08.07.2024** को बकाया
1. श्री महादेव, 2. श्रीमती मालती **ऋण खाता संख्याः** HKRG23000038912	मकान नं. 16, पटवारी हलका नं. 41, वार्ड नं. 09, गाँव नंद्रा, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, मध्य प्रदेश, पिनकोड–451225, प्लॉट एरियाः– कुल एरिया 880 वर्ग फुट (81.78 वर्ग मीटर) और इस पर निर्माण	1. 10.07.2024 2. 05.07.2024 रु. 6,31,088/– (रुपये छह लाख इकत्तीस हजार अठासी मात्र) दि. **08.07.2024** को बकाया
1. श्री शुभम परिहार, 2. श्रीमती पदमा बाई, 3. महिमा परिहार, 4. श्री संदीप परिहार। **ऋण खाता संख्याः** LUJJ23000042263 **और** HUJJ21000013767	प्लॉट नं. 39/4, खारी बावड़ी, देवास, मध्य प्रदेश, पिनकोड– 455001	1. 10.07.2024 2. 05.07.2024 रु. 7,36,705/– (रुपये सात लाख छत्तीस हजार सात सौ पाँच मात्र) दि. **08.07.2024** को बकाया
1. श्री शुभम श्रीवास्तव, 2. श्रीमती मनीषा **ऋण खाता संख्याः** HIDR23000036411	प्लॉट नं. 25 का आवासीय दक्षिणी भाग और प्लॉट नं. 26 का उत्तरी भाग, सर्वे नं. 38/2/1/1 का पार्ट, गाँव कालीबिल्लोद पी.एच. नं. 37, तहसील देपालपुर जिला इदौर, मध्य प्रदेश–453001, कुल एरिया 480 वर्ग फुट या 44.60 वर्ग मीटर	1. 10.07.2024 2. 05.07.2024 रु.11,92,008/– (रुपये ग्यारह लाख बानवे हजार आठ मात्र) दि. **08.07.2024** को बकाया

मांग नोटिस दिनांकित उपरोक्त में उल्लिखित दर से भविष्य की ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक वहन किए जाने वाले प्रासांगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ। यदि उक्त बाध्यताधारी(ओं) उपरोक्तानुसार जेएमएफएचएलएल को भुगतान करने में असफल रहते हैं तो जेएमएफएचएलएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत लागतों और परिणामों के लिए पूर्ण रूप से उक्त बाध्यताधारी(ओं)/विधिक उत्तराधिकारी(ओं)/विधिक प्रतिनिधि(ओं) के हर्ज–खर्चे पर उपरोक्त प्रत्याभूत परिसंपत्ति(ओं)/अचल संपत्ति(ओं) के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।

उक्त बाध्यताधारी(ओं)/विधिक उत्तराधिकारी(ओं)/विधिक प्रतिनिधि(ओं) बिना जेएमएफएचएलएल की लिखित अनुमति के बिक्री, पट्टे या अन्य किसी तरीके से उपरोक्त प्रत्याभूत परिसंपत्ति(ओं)/अचल संपत्ति(ओं) को हस्तांतरित करने से निषिद्ध होंगे। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम या इसके नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने में सहयोग करता है तो वह अधिनियम के तहत यथा कैद और/या दंड का भागी होगा।

स्थानः मध्य प्रदेश, दिनांकः 15.07.2024
हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, जेएम फाईनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड

AUTHUM

ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 707, रहेजा सेंटर, फ्री प्रेस जर्नल रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई–400 021. **फोनः** (022) 6747 2117
फैक्सः (022) 6747 2118 **ई–मेलः** info@authum.com

कब्जा सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ('एएचएल') (परिणामी कंपनी रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ('आरसीएफएल') से एआईआईएल को एनसीएलटी आदेश दिनांक 10.05.2024 के तहत ऋण कारोबार के डीमर्जर के बाद) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, कर्जदार **श्री अनिल कुमार राठौर और श्रीमती रजनी राठौर** को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर अतिरिक्त ब्याज और लागतों सहित नोटिस में उल्लिखित राशि **रु. 2,18,71,433 [रुपये दो करोड़ अठारह लाख इकहत्तर हजार चार सौ तैंतीस मात्र] का भुगतान करने के लिए** 19.01.2023 को एक मांग सूचना जारी की।

कर्जदार द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार/सह–कर्जदार और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **9 जुलाई, 2024** को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

कर्जदार/सह–कर्जदार को विशेष रूप से और आम जनता को संपत्ति का संव्यवहार न करने के लिए सतर्क किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार **रु. 2,18,71,433 [रुपये दो करोड़ अठारह लाख इकहत्तर हजार चार सौ तैंतीस रुपये मात्र]** की राशि और उस पर ब्याज के लिए ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अध्यधीन होगा।

कर्जदार/सह–कर्जदार का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

व्यावर्तित भूमि राजस्व सर्वेक्षण क्रमांक 447/4 के संबंध में वाणिज्यिक संपत्ति का समस्त भाग [भूमि + उस पर निर्माण] क्षेत्रफल 10000 वर्ग फीट, ग्राम लसुडिया विजय सिंह, तहसील आष्टा जिला सीहोर, मध्य प्रदेश में स्थित, और सीमाएं निम्नलिखित हैंः पूर्व में पूरनसिंह, किशोरीलाल की भूमि, पश्चिम में कन्नोद रोड, उत्तर में पूरनसिंह की माँ की भूमि, दक्षिण में कमला बाई कुशवाह की भूमि

दिनांकः 15 जुलाई, 2024
स्थानः आष्टा
(प्राधिकृत अधिकारी)
ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 501, सेल्कन औरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली–110025
सीआईएन : U65900DL2020PLC366027

नीलामी सूचना

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित कर्जदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जारी किए गए व्यक्तिगत नोटिसों सहित विभिन्न मांगों और नोटिसों के बावजूद उनके द्वारा बैंक से लिए गए गोल्ड लोन को समायोजित नहीं किया गया है। सभी कर्जदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के पास प्रतिभूति के रूप में रखे सोने के आभूषणों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है और तदनुसार 29.07.2024 को दोपहर 03:00 बजे उस शाखा परिसर में नीलामी की तिथि निर्धारित की गई है जहाँ से ऋण लिया गया था। नीलामी के नियमों और शर्तों के अनुसार इस नीलामी में कर्जदारों, खाताधारकों और बड़े पैमाने पर जनता सहित सभी भाग ले सकते हैं।

शाखा	खाता सं.	खाता धारक का नाम	पिता/पति–पत्नी का नाम	पता	खाता खुलने की तिथि	पेऑफ
गाजियाबाद	101542512097	प्रियांशु जैन	पुत्र अनुराग कुमार जैन	बी–36 गांधी नगर, पड़ाव ग्रिड, ग्वालियर मध्य प्रदेश–474002	27/07/2023	38083.18
गाजियाबाद	101542512981	प्रियांशु जैन	पुत्र अनुराग कुमार जैन	अनुराग कुमार जैन, बी–36 गांधी नगर, पड़ाव ग्रिड, ग्वालियर मध्य प्रदेश–474002	08/12/2023	11630.31

नीलामी की तिथि 29.07.2024 को 03:00 बजे अप. है

बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी खाते को नीलामी से हटाने या नीलामी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

कोगटा फाइनेंशियल इंडिया लिमिटेड

Kogta FINANCIAL

CIN No. U67120RJ1996PLC011406, **कॉर्पोरेट कार्यालय :** एस-1 गोपालबाड़ी, अजमेर पुलिया के पास, मेट्रो पिलर नंबर 143 के सामने, जयपुर- 302001, राजस्थान, भारत | दूरभाषः +91 141 6767067 **पंजीकृत कार्यालयः** कोगटा हाउस, आजाद मोहल्ला, बिजयनगर-305624, राजस्थान, भारत | ईमेलः info@kogta.in | www.kogta.in

परिशिष्ट- IV (नियम 8 (1) देखें) कब्जे की सूचना

यतः (Whereas) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन (अधिनियम) 2002 के अन्तर्गत एवं धारा 13 (12) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोगटा फाइनेंशियल (इंडिया) लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने मांग सूचना दिनांक **12-04-2024** को जारी किया, जिसमें ऋणियों/जमानतदार/बंधककर्ता श्री जितेन्द्र असाती पुत्र श्री कोमल प्रसाद असाती (आवेदक/बंधककर्ता), जितेन्द्र कुमार कमल कुमार दुकान नं. 44, न्यू आलू प्याज मण्डी जरिए प्रोपराइटर श्री जितेन्द्र असाती, मिस साधना असाती पुत्री श्री कोमल प्रसाद असाती (सह-आवेदक/बंधककर्ता) ऋण संख्या 0000158897 से नोटिस में उल्लेखित राशि रू. **23,18,472/-** (रूपये तेइस लाख अठारह हजार चार सौ बहत्तर मात्र) दिनांक 10.04.2024 तक बकाया + आगे का ब्याज एवं अन्य कानूनी शुल्कों सहित पूर्ण भुगतान होने की तिथि तक नोटिस की पावती की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया था।

ऋणी/बंधककर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, ऋणी/बंधककर्ता एवं आमजन को यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 11 जुलाई 2024 को प्राप्त कर लिया है। ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधो की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणी/बंधककर्ता को विशेष रूप से एवं आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि इस संपत्ति बाबत कोई संव्यवहार नहीं करे और इस सम्पत्ति के बाबत किया गया कोई भी संव्यवहार रू. **23,18,472/-** (रूपये तेइस लाख अठारह हजार चार सौ बहत्तर मात्र) दिनांक 10.04.2024 तक एवं ब्याज व खर्चे पूर्ण भुगतान होने तक कोगटा फाइनेंशियल (इंडिया) लिमिटेड के अध्यधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

भूमि के सभी अभिन्न अंग स्थित गांव राऊ तहसील व जिला इन्दोर (मध्य प्रदेश) पटवारी हल्का नं. 11 के भीतर जिसका सर्वे नं. 1051/1/केए, सर्वे नं. 1051/2/केए रकबा 0.580 हेक्टेयर, सर्वे नं. 1051/1/केएचए, सर्वे नं. 1051/2/केएचए रकबा 0.580 हेक्टेयर, सर्वे नं. 1051/3/2 रकबा 0.500 हेक्टेयर व सर्वे नं. 1051/3/3 रकबा 0.809 हेक्टेयर कुल रकबा 2. 469 हेक्टेयर कुल भूमि, जो कि भूमि/भू भाग नं. 185-बी में स्थित है व विक्रय योग्य भूमि हिस्सा कुल क्षेत्रफल 0.0055 हेक्टेयर साइज = 15x40 वर्ग फीट = 600 वर्ग फीट (55.76 वर्ग मीटर) जो कि श्री जितेन्द्र असाती व साधना असाती के स्वामित्व में है, पूर्व - भूमि/भू भाग नं. 3 का हिस्सा, पश्चिम - रोड/रास्ता, उत्तर - भूमि/भू भाग नं. 184ए का हिस्सा, दक्षिण - भूमि/भू भाग नं. 185ए का हिस्सा

दिनांक 11.07.2024, स्थानः इन्दौर
प्राधिकृत अधिकारी,
कोगटा फाइनेंशियल (इंडिया) लिमिटेड

भोपाल संस्करण : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा दैनिक भास्कर, प्लॉट नं. 10 व 11, सेक्टर बी, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल, म. प्र. 462023 से मुद्रित एवं सी/ओ अशोक कुमार जैन, शॉप नं. 1, पटेल मार्केट, संगम टॉकीज के समीप, भोपाल- 462001 से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल\ आरएनआई नं. MPHIN/2008/24603 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स - 033-22101599
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्सबिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं